बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक..................

02 / एम0एम0–(बा0)–11 / 22–...................... / एम0 राज्यान्तर्गत सभी जिलों के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने एवं अवैध खनन न हो इसके लिए राज्य में बिहार राज्य खनन निगम द्वारा नियुक्त संवेदक के माध्यम से ही अगले आदेश तक बालू खनन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–3661–3662 / 2020 में दिनांक 10.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में दी गई थी।

2 अनुमण्डलीय समिति द्वारा तैयार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार (SEIAA) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2022 को पारित आदेश में राज्य को अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए निविदा प्रकाशित करने को कहा है।

3. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटों की अगले 05 वर्ष के लिए बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा ई–नीलामी–सह–निविदा के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है। निविदा हेतु सुरक्षित जमा की राशि वर्ष 2021 में प्राप्त राजस्व पर 50 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित की जायेगी।

4. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(दीवान जाफर हुसैन खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02 / एम0एम0–(बा0)–11 / 22–.................... / एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि :–अवर सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–11/22–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–11/22–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–11/22–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.06.2022 की बैठक में मद संख्या–15 के विरूद्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–11/22–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव /निदेशक कोषांग/संयुक्त सचिव–I/II कोषांग/उप सचिव कोषांग/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–11/22–2807/एम0, पटना, दिनांक 17.06.2022
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.06.2022

सरकार के संयुक्त सचिव।